तार : जल निगम

दूरभाष : 0522–2624245
फैक्स : 0522–2624245

उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालयः 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ –226001

पत्रांक 2401 /क्रय/जनरल/(2121-0052)/2016/ 97 दिनांक 27 /09/2016

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक,
उ0प्र0 जल निगम ।

विषयः– **केन्द्रीयकृत सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

मुख्य अभियन्ता(क्रय) एवं अधोहस्ताक्षरी के आपको एवं समस्त मुख्य अभियन्ता(क्षेत्र) को सम्बोधित पार्श्वांकित पत्रों द्वारा निर्देश दिये गये थे कि केन्द्रीयकृत सामग्री हेतु डिस्पैच इन्सट्रक्शन निर्गत करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित एलोकेशन/डायवर्जन आदेश उ0प्र0 जल निगम की बेवसाइट www.upjn.org पर उपलब्ध है, तभी फर्मों को डिस्पैच इन्सट्रक्शन इत्यादि निर्गत किये जाये तथा सहायक अभियन्ता(स्टोर) द्वारा बीजकों पर प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है कि सम्बन्धित एलोकेशन/डायवर्जन आदेश उ0प्र0 जल निगम की बेवसाइट पर उपलब्ध है ।

1704/पीसी/जनरल/2121-0095/12/44,	दिनांक 11.07.2012
2023/पीसी/जनरल/2121-0095/12/48,	दिनांक 24.08.2012
2331/पीसी/जनरल/2121-0095/12/63,	दिनांक 24.09.2012
2889/पीसी/जनरल/2121-0095/12/77,	दिनांक 21.12.2012
1511/पीसी/जनरल/2121-0052/13/49,	दिनांक 01.08.2013
2013/पीसी/जनरल/2121-0052/13/100,	दिनांक 26.09.2013
851/पीसी/जनरल/2121-0052/2014/22,	दिनांक 15.03.2014
1685/पीसी/जनरल/2121-0052/2014/68	दिनांक 19.07.2014
7164/पीसी/जनरल/2121-0052/2014/112	दिनांक 08.12.2014
843/पीसी/जनरल/2121-0052/2015/23	दिनांक 22.04.2015
1075/पीसी/जनरल/2121-0052/2016/46	दिनांक 19.05.2016

आपको यह भी निर्देशित किया गया था कि केन्द्रीयकृत सामग्रियों की अनुबन्धित दरें एवं जिन सामग्रियों में मूल्य परिवर्तन अनुमन्य है, उनकी भी समय-समय पर स्वीकृत दरें उ0प्र0 जल निगम की बेवसाइट पर अपलोड की जाती है तथा सामग्री का भुगतान करने के पूर्व बेवसाइट से दरें डाउनलोड करके ही केन्द्रीयकृत सामग्री का भुगतान किया जाये तथा सहायक अभियन्ता(स्टोर) द्वारा प्रत्येक बिल पर प्रमाणित किया जायेगा कि जिन दरों पर भुगतान किया जा रहा है वे उ0प्र0 जल निगम की बेवसाइट पर उपलब्ध है ।

इस कार्यालय की जानकारी में आ रहा है कि कुछ खण्डों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन पूर्णतः नहीं किया जा रहा है । अतः आपको पुनः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें । यदि अनुपालन न किये जाने की जानकारी यदि इस कार्यालय में प्राप्त होती है तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाने की बाध्यता होगी ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

26/9/16

(समीर गोविल)
सामग्री प्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने क्षेत्रान्तर्गत/मण्डलान्तर्गत खण्डाधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें :

1. समस्त मुख्य अभियन्ता(क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ई-मेल द्वारा) ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, ।

26/9/16

सामग्री प्रबन्धक

26/9/16

E:\purchase cell\pvc pipe